न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 17/2022 . (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' (जो पूर्व में ''ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड'' के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री पारस जैन पुत्र श्री बहादुरमल जैन पता– वार्ड नं. 10, ब्रह्मपुरी मोहल्ला, छबडा, बारां राजस्थान (ऋणी– बंधककर्ता)
2. श्रीमती प्रेमलता जैन पत्नि श्री बहादुरमल जैन निवासीः– 99, अल्फा स्कूल की गली, वार्ड नंबर –8, बारां राजस्थान, दूसरा पताः– वार्ड नं. 10 ब्रह्मपुरी मोहल्ला, छबडा बारां राजस्थान (सह–ऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम– 13 व धारा–151 सी.पी.सी
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 तारीख फैसला दिनाक 09.05.2022

उपस्थिति :– 1. श्री हितेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री महेश गौतम अभिषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 13.12.2022

अप्रार्थिया कम 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रार्थी द्वारा उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.05.2022 को एकपक्षीय सुना जाकर प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती प्रेम लता जैन पत्नि श्री बहादुरमल जैन की सम्पत्ति वार्ड नं. 10, ब्रहम्पुरी मोहल्ला, छबडा बारां राजस्थान–325220, जिसका कुल क्षेत्रफल 668 स्क्वायर फुट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में मुकेश पंजाबी का मकान, पश्चिम में रोड., उत्तर में पूनम चन्द का मकान, दक्षिण में मुकेश पंजाबी का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त प्रकरण में मूल ऋणी पारस जैन लंबे समय से बीमार था और जैर इलाज दिनांक 01.09.2020 को कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट कोटा में उसका निधन हो गया। इस प्रकार प्रार्थी ऋणदाता द्वारा मृतक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही तथ्यों को छिपा कर प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा धारा 13(2) का नोटिस प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.2021 को जारी करना बताया है जबकि 01.09.2020 को ही ऋणी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण नोटिस के अभाव में कार्यवाही पोषणीय नहीं है। कार्यवाही में मृतक के वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया है। इन कारणों से कार्यवाही दूषित हो गयी है। आदेश अपास्त किया जाकर अप्रार्थिया को सुनवायी का अवसर दिये जाने का अवसर प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी/ऋणीदाता को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा मूल आदेश पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/ऋणदाता ऋण स्वीकृत किये जाने से पूर्व आवेदक को समस्त शर्तों से अवगत करा दिया था। तथा आवेदक द्वारा बतायी गयी शर्तों से संतुष्ट होकर अनुबंध निष्पादित किया। आवेदक द्वारा ऋण की अदायगी में चूक करने पर प्रार्थी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही कर आवेदन श्रीमान् न्यायालय में पेश किया। आवेदक का यह कथन नितान्त असत्य है कि उक्त निर्णय की जानकारी आवेदक को दिनांक 06.06.2022 को हुई। वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने से समय प्रार्थी बैंक को आवेदक ने बताया था कि ऋण की सुरक्षा हेतु फ्यूचर जनरली नामक इन्श्योरेन्स कम्पनी से मृतक का बीमा कराया हुआ है, ऋण का बकाया भुगतान बीमा कम्पनी को करना है, प्रार्थी बैंक द्वारा बमीन कम्पनी से सम्पर्क कर उक्त बीमा के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक ने बीमा कम्पनी को दिनांक 04.02.2021 को क्लेम हेतु आवेदन किया जो बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 23.03.2021 को खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी आवेदक को पहले से है तथा आवेदक द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा–13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ऋणी व सहऋणी दोनों को ऋण दिया गया है। न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह आवेदक की उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बाबत दिया गया है तथा विधिनुसार प्रत्याभूत बंधक ऋण की राशि को बंधक सम्पत्ति से ही वसूल किया जाना है, जो कि वर्तमान में मौजूद है और जिसका कब्जा विधिनुसार प्रार्थी बैंक द्वारा ले लिया गया है। आवेदक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 को अपास्त कराना चाहता है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी भी आक्षेप पर सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार माननीय Debts Recovery Tribunal को है इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या पोषणीय नहीं होने से निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रार्थी बैंक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.05.2022 को एक पक्षीय सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में मूल ऋणी पारस जैन लंबे समय से बीमार थे, और दिनांक 01.09.2020 को उनका निधन हो गया है। ऋणदाता ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत की गयी। धारा–13 (2) का नोटिस प्रार्थी द्वारा 24.05.2021 को प्रेषित करना बताया है, जबकी 01.09.2020 को ऋणी की मृत्यु हो गयी थी। इस कारण नोटिस प्राप्ति के अभाव में धारा–13(4) की कार्यवाही नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2022 अपास्त किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी वित्तिय संस्था ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। इस सम्बन्ध में किसी भी आक्षेप पर सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार माननीय Debts Recovery Tribunal को है इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या पोषणीय

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:54 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होने से निरस्त फरमावें। अभिभाषक प्रार्थी/ऋणदाता ने अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत 2022 Live Law (SC) 45 का अवलोकन कराया तथा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। प्रकरण में पारस जैन की मृत्यु होना मान भी लिया जाए तब भी ऋण पारस जैन व प्रेमलता जैन के संयुक्त नाम से लिया गया, तथा उनके नाम से नोटिस भी जारी किया गया तथा अखबार में भी साया करवाया गया। बंधक सम्पत्ति भी श्रीमति प्रेमलता जैन के नाम है। ऐसी स्थिति में श्रीमति प्रेमलता जैन भी ऋण चुकाने हेतु जिम्मेदार थी, जो उसने नही चुकाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भी ऋण वसूली के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 के तहत किसी भी प्रकार की आपत्ति पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय Debts Recovery Tribunal को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थिया कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाया जाता है।

अतः अप्रार्थिया कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:54 IST
Reason: SelfAttested